कार्यकारी निदेशक और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली - ११० ००१

दिनांक: 28 अप्रैल, २०२1

श्री अरविंद कुमार .... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग

संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.......... प्रतिवादी

आदेश

यह अपील श्री अरविंद कुमार के द्वारा भेजे गए सूचना के अधिकार (आर.टी.आई) के तहत आवेदन संख्या ISBBI/R/P/21/00007 से है। इस संबंध में श्री अरविंद कुमार के आरटीआई आवेदन के खिलाफ सीपीआईओ का जवाब, अपील में प्रस्तुतियां और इस प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की टिप्पणियां, इस प्रकार है -

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
1.	प्रार्थी के उक्त ईमेल/ डाक रजिस्टर द्वारा भेजे गए प्रपत्र पर भुगतान हेतु की गई कार्यवाही की दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।	इस सम्बन्ध में बोर्ड के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।	बिन्दु संख्या एक के जवाब से सहमत नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा भेजे गए ई-मेल/डाक रजिस्ट्री पर यदि विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है, तो दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि कार्यवाही नही की गई है तो प्रार्थी/जनता के साथ धोखा किया जा रहा है।	सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल ऐसी जानकारी दी की जा सकती है जो उपलब्ध हो। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इसलिए, मैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूं ।
2.	उक्त भुगतान से सम्बंधित समय-सीमा से अवगत कराने की कृपा करें।	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के धारा 12 में दिवालिया प्रक्रिया की समय सीमा का उल्लेख है।	बिन्दु संख्या दो के जवाब से सहमत नहीं हैं, जवाब में लिखा गया है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के धारा 12 में समय-सीमा का उल्लेख है यदि इतनी जानकारी CPIO को है, तो धारा 12 में उल्लिखित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से सम्बंधित समयसीमा की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसकी कॉपी अपीलार्थी के पास निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है: https://ibbi.gov.in/legal-framework/act
3.	प्रार्थी को भुगतान के	इस सम्बन्ध में बोर्ड के पास	बिन्दु संख्या तीन के जवाब से सहमत नहीं हैं,	सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	मद में प्राप्त होने वाले धन-राशि की सूचना उपलब्ध कराएं।	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	प्रार्थी को कितनी धनराशि भुगतान में दी जाएगी, इसकी जानकारी बोर्ड के पास नहीं है तो आवेदन किस बात का लिया जा रहा है। यदि उक्त जानकारी किसी अन्य के पास है, तो धारा 6(3) का अनुपालन करते हुए सूचना उपलब्ध कराएं।	ऐसी जानकारी दी की जा सकती है जो उपलब्ध हो। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इसलिए, मैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूं ।
4.	वर्ष 2019 से फरवरी 2021 तक भुगतान प्राप्त करने वाले निवेशकों की सूची उपलब्ध कराएं।	कॉर्पोरेट देनदार के दावेदारों की सूची उक्त लिंक पर उपलब्ध है- https://ibbi.gov.in/claims/claimProcess/U70100DL2006PLC263246	बिन्दु संख्या 4 के जवाब से सहमत नहीं हैं, वर्ष 2019 से फरवरी 2021 तक भुगतान प्राप्त करने वाले निवेशकों की सूची मांगी गई है न कि दावेदारों की सूची तथा लिंक पर प्रमाणित प्रति मिलना सम्भव नहीं है।	भुगतान प्राप्त करने वाले निवेशकों की सूची उपलब्ध नहीं है । सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल ऐसी जानकारी दी की जा सकती है जो उपलब्ध हो। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।
5.	वर्ष 2019 से फरवरी 2021 तक भुगतान प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले	कॉर्पोरेट देनदार के दावेदारों की सूची उक्त लिंक पर उपलब्ध है- https://ibbi.gov.in/claims/claimPro	बिन्दु संख्या पांच के जवाब से सहमत नहीं हूँ, लिंक पर दावेदारों की प्रमाणित प्रति मिल पाना सम्भव नहीं है।	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए लिंक में दावों की सूची है जिसमें लेनदारों की श्रेणी के अनुसार राशि दिखाई गई है। तदनुसार,

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	निवेशकों की सूची उपलब्ध कराएं।	cess/U70100DL2006PLC263246		कोई और जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है ।
6.	जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक निवेशकों का आवेदन किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया, सूची उपलब्ध कराएं।	इस सम्बन्ध में बोर्ड के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।	बिन्दु संख्या छः के जवाब से सहमत नहीं हूँ। यदि बिन्दु छः की जानकारी विभाग के पास नहीं है, इसका मतलब विभाग अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है ।	सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल ऐसी जानकारी दी की जा सकती है जो उपलब्ध हो। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इसलिए, मैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूं ।
7.	प्रार्थी का आवेदन भुगतान हेतु किस क्रमांक पर अंकित किया गया: भुगतान-सूची भुगतान प्राप्त होने वाली धन-राशि व	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के धारा 12 में दिवालिया प्रक्रिया की समय सीमा का उल्लेख है।	बिन्दु संख्या सात के जवाब से सहमत नहीं हूँ। प्रार्थी का आवेदन किस क्रमांक पर अंकित है, यदि धारा 12 में उल्लेख है, तो धारा 6(3) के अनुपालन में जवाब दिया जाना न्यायोचित है।	प्रार्थी का आवेदन किस क्रमांक पर अंकित है, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से सम्बंधित समयसीमा की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसकी

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	भुगतान की समय-सीमा से अवगत कराएं।			कॉपी अपीलार्थी के पास निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है: https://ibbi.gov.in/legal-framework/act
8.	निवेशकों को भुगतान दिलाये जाने हेतु पब्लिक नोटिस वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक किन -किन तिथियों को और किन -किन समाचार पत्रों / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जारी की गई, नोटिसों की प्रमाणित प्रति	पब्लिक नोटिस की प्रति संलग्न है ।	बिन्दु संख्या आठ के जवाब से सहमत नहीं हूँ। नोटिस की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है।	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को इस आदेश के 10 दिनों के भीतर अपीलार्थी को पब्लिक नोटिस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश है।

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	उपलब्ध कराएं।			
9.	ई-मेल के अतिरिक्त जरिए डाक रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट प्रपत्र भेजने वाले निवेशकों को भुगतान में शामिल किया जा रहा है या नहीं सूचना उपलब्ध कराएं।	संलग्न पब्लिक नोटिस की प्रति का सन्दर्भ लेवें ।	बिन्दु संख्या नव के जवाब से सहमत नहीं हूँ। नोटिस की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है।	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को इस आदेश के 10 दिनों के भीतर अपीलार्थी को पब्लिक नोटिस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश है।
10.	अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड (ATIL) और अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड में निवेशकों को भुगतान दिलाये जाने हेतु जारी	अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड (ATIL) और अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड से सम्बन्धित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश निम्न लिंक से प्राप्त किये जा सकते हैं-	बिन्दु संख्या दस के जवाब से सहमत नहीं हूँ। लिंक से शासनादेश की प्रमाणित प्रति मिल पाना सम्भव नहीं है।	नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश उनकी आधिकारिक वेबसाइट से लिया जा सकते हैं । उनकी प्रमाणित प्रति, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, प्रदान नहीं कर सकता चूंकि

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	किए गए शासनादेशों/ आदेशों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराए।	https://nclt.gov.in/exposed-order-judgements-page https://ibbi.gov.in/orders		बोर्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कॉपी प्रदान की जाती है।
11.	निदेशकों को भुगतान हेतु किन-किन विभागों और संस्थानों को नामित किया गया है, उनके रजिस्टर्ड कार्यालायों के पतों और विभागों द्वारा जारी आवेदन पत्रों, जारी की गई तिथि और अंतिम तिथि अवगत कराएं।	इस सम्बन्ध में बोर्ड के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।	बिन्दु संख्या ग्यारह के जवाब से सहमत नहीं हूँ। यदि कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है, तो धारा 6(3) का अनुपालन करते हुए सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल ऐसी जानकारी दी की जा सकती है जो उपलब्ध हो। जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इसलिए, मैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूं ।

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
12.	प्रार्थी द्वारा भेजे गए CA फार्म अथवा अन्य प्रपत्रों का हिन्दी रूपांतरण और उद्देश्य से अवगत कराएं कि निवेशकों को भुगतान दिलाने हेतु जारी किया गया है अथवा अन्य किसी उद्देश्य हेतु; आशय और उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए सूचना उपलब्ध कराएं	CA फार्म का हिन्दी रूपांतरण निम्न लिंक से प्राप्त किया जा सकता है- https://ibbi.gov.in//uploads/legalframework/8ced7bf121296a977b6e41c7ee0178c8.pdf मांगी गई जानकारी राय की प्रकृति में है और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं है|	बिन्दु संख्या बारह के जवाब से सहमत नहीं हूँ। बिन्दु का उद्देश्य राय प्रकट करना नहीं है। बल्कि स्पष्ट सूचनाएँ उपलब्ध कराए जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही समय-सीमा के लिए बार-बार धारा 12 का उल्लेख किया गया है। यदि सम्बन्धित CPIO को धारा 12 का सही ज्ञान है, तो बिन्दुवार सही जवाब दिया जाना चाहिए।	अधिनियम/नियम/विनियम/परिपत्र/अधिसूचना/जारी किए गए दिशा-निर्देशों की प्रति निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है: https://ibbi.gov.in/legal-framework/act दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से सम्बंधित समयसीमा की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, और उस पर सलाह या राय देना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं है|।

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का उत्तर	अपील में प्रस्तुतियां	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की टिप्पणियां
	एवं आवेदन का भुगतान की समय-सीमा से भी अवगत कराएं।	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अनुभाग 12 में दिवालिया प्रक्रिया की समय सीमा का उल्लेख है।		

2. उपरोक्तानुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

(हस्ताक्षर / -)

(डॉ अनुराधा गुरु)

कार्यकारी निदेशक और प्रथम अपीलीय अधिकारी

कॉपी:

1. अपीलार्थी, श्री अरविंद कुमार ।

2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001